न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—63/2017/225 (2017/00063)

1. श्रीकिशन पुत्र भैरू, जाति गुर्जर, निवासी मण्डावरिया, तह0 किशनगढ़, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. लक्ष्मण दत्तक पुत्र सूरजमल,
2. देवा पुत्र भैरू,
   जाति गुर्जर, निवासी मण्डावरिया, तह0 किशनगढ़, जिला अजमेर ।
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ़, जिला अजमेर।
4. उप पंजीयक किशनगढ़ ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ , दिनांक 3.1.2017 अंतर्गत प्रकरण संख्या 9/2015.

उपस्थितः—

1. श्री महेन्द्रसिंह चौहान, वकील अपीलांट ।
2. श्री इंद्रेश रामचंदानी, वकील रेस्पो0 संख्या 1 एवं 2.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 3 व 4.

निर्णय

दिनांकः—25.03.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के आदेश दिनांक 3.1.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 के एक राजस्व वाद वास्ते उद्घोषणा, खातेदारी, बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पो0 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 सगे भाई है तथा प्रतिवादी संख्या 1 काफी समय पूर्व सूरजमल के गोद चला गया है तथा वादी के पिता की खातेदारी काश्तकारी की आराजियात खसरा संख्या 59 रकबा 29 बीघा 2 बिस्वा ग्राम मण्डावरिया, तह0 किशनगढ़ में अवस्थित है। उक्त आराजियात से प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 1 का का कोई संबंध नहीं है तथा वादी/अपीलांट एवं रेस्पो0/प्रतिवादी संख्या 2 ही भैरू की विधिक संतान है जिनका उक्त आराजियात में 1/2, 1/2 हिस्सा निहित है तथा सहवन से प्रतिवादी संख्या 1 के सूरजमल के गोद जाने के बावजूद सहवन से भैरू की आराजियात में प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 1 का नाम दर्ज हो गया तथा उक्त गलत इद्रांज के आधार पर प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 1 उक्त आराजियात का बेचान करने पर सख्त आमादा है जिसे स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाकर अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 2 को वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । अधी0न्याया0 में उक्त आशय का वाद प्रस्तुत किये जाने पर

अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 21.1.2015 को नोटिस जारी किये गए तथा उक्त पत्रावली प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के जवाब के बाद तनकीयात हेतु नियत की गई परन्तु अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 3.1.2017 को पत्रावली वास्ते तनकीयात हेतु नियत होने के बावजूद उक्त वाद को अदम हाजरी, अदम पैरवी मे ंखारिज किये जाने के आदेश पारित किये। अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि वादी/अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष वाद प्रस्तुत करने के उपरांत प्रतिवादीगण/रेस्पो0 द्वारा जवाब प्रस्तुत करने बाद उक्त पत्रावली वास्ते तनकीयात हेतु नियत थी जिस बाबत् अधिवक्ता या वादी की उपस्थिति अनिवार्य नहीं थी तथा पत्रावली बाबत् तनकीयात निर्मित्त करने का कार्य अधी0न्याया0 का था इसके बावजूद अधी0न्याया0 द्वारा आदेश दिनांक 3.1.2017 पारित कर दिया गया जो निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष वाद में वास्ते तनकीयात हेतु दिनांक 26.12.2016 की पेशी नियत थी तथा अधी0न्याया0 द्वारा उक्त वाद में वादी/अपीलांट के अभिभाषक को आगामी पेशी अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 3.1.2017 की बताई गई जिसे वादी/अपीलांट के अभिभाशक ने सहवन से 31.1.2017 की पेशी नोट कर ली थी जिस कारण बरवक्त पेशी अधी0न्याया0 के समक्ष उक्त वादपत्र की सुनवाई के समय वादी एवं अधिवक्ता उपस्थित नहीं हो सके थे जिसमें वादी की कोई गलती नहीं थी तथा अधिवक्ता की गलती के लिये पक्षकार को दण्डित नहीं किया जा सकता है । अधी0न्याया0 ने वादी के वाद को अदम हाजरी व अदम पैरवी में निरस्त कर न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि प्रकरण का तकनीकी आधार पर निर्णित करने के बजाय गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी । प्रार्थी को उक्त जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 5.3.2017 को तब हुई जब प्रार्थी ने अपने अभिभाषक से संपर्क कर अपने राजस्व वाद बाबत् जानकारी चाही तब हुई । प्रार्थी को उनके अधिवक्ता ने आश्वासन दे रखा था कि प्रत्येक पेशी पर आने की आवयकता नहीं है जब आवश्यकता होगी तब उन्हें सूचना कर देंगे । प्रार्थी ने किसी प्रकार की लापरवाही नहीं की है । अभिभाषक की गलती का हर्जाना पक्षकार को नहीं दिया जाना चाहिये । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे तथा प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जावे ।

6. जवाब में विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । अपने वाद की जानकारी रखने तथा प्रत्येक पेशी पर उपस्थित होना वादी की जिम्मेदारी है । अपनी अनुपस्थिति के लिये वादी स्वंय जिम्मेदारी है इसके लिये अधिवक्ता को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलांट को अदम पैरवी व अदम हाजरी के खिलाफ अधी0न्याया0 में आदेश 9 नियम 9 जा0दी0 के तहत कार्यवाही करने का

उपचार होने के बावजूद अपीलांट ने न्यायालय हाजा के समक्ष अपील पेश की है जो संधारण योग्य नहीं है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि नियमों में उपचार उपलब्ध है तो प्रथमतः अधी0न्याया0 में ही कार्यवाही करनी चाहिये थी । विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में सुप्रीम अपील रिपोर्टर सिविल 2017 पेज 800 एवं ए0आई0आर0 1992 मद्रास पेज 150 के कानूनी दृष्टांत पेश किये ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना उचित समझते है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार किया जाकर अपील में हुआ विलंब माफ किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर अधी0न्याया0 की पत्रावली का अवलोकन किया गया । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली के आध्योपांत अवलोकन एवं विश्लेषण से यह सुस्पष्ट है कि वादी/अपीलांट का मूल राजस्व वाद पत्र परीक्षण न्यायालय द्वारा वादी की स्वंय या उसके अभिभाषक की पेशी के रोज उपस्थित होने मे चूक/व्यतिक्रम होने के कारण अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया गया है तथा यह आदेश जाप्ता दीवानी की धारा 2 (2) (ख) के तहत 'डिक्री' की परिभाषा में नहीं आने के कारण अपीलीय आदेश नहीं होने से ऐसे आदेश के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील आदेश 43 जा0दी0 अथवा धारा 225 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पोषणीय ही नहीं है ।

9. अदम हाजरी व अदम पैरवी मे वादपत्र खारिज होने के विरूद्ध बाजदायरी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के प्रावधान जाप्ता दीवानी के आदेश 9 में प्रावधित है इसलिये जहां वैकल्पिक एवं सुस्पष्ट उपचार वादी/अपीलांट को कानून में उपलब्ध है तो ऐसी स्थिति में अपीलांट हस्तगत अपील के माध्यम से कोई अनुतोष इस न्यायालय से अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध प्राप्त नहीं कर सकता है । इस संबंध में विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत कानूनी दृष्टांत भी प्रकरण में प्रासंगिक है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य पायी जाती है । अपीलांट परीक्षण न्यायालय के समक्ष नियमानुसार बाजदायरी प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु स्वतंत्र है ।

10. अतः अपील अपीलांट पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है तथा विद्वान अधी0न्याया0 का आदेश दिनांक 3.1.2017 यथावत् रखा जाता है। अपीलांट परीक्षण न्यायालय के समक्ष नियमानुसार बाजदायरी प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु स्वतंत्र है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 25.3.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर